# कुपोषित बच्ची की मौत के तीसरे दिन फिर मिला गंभीर कुपोषण

## नयागांव क्षेत्र में मिली 5 माह की अति कुपोषित बालिका, हालत गंभीर होने पर मेडिकल कॉलेज रीवा रेफर

नवभारत न्यूज

**सतना,24 अप्रैल. जिले के चित्रकूट क्षेत्र में कुपोषण की स्थिति कैसी है इसकी तस्दीक वहां पर सामने आने वाले नित नए केस और उनमें से कुछ की मौत के जरिए की जा सकती है. इसके साथ ही इस बात की भी तस्दीक की जा सकती है कि स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभाग के जिम्मेदारों की निगरानी और उपचार व्यवस्था कितनी कारगर है.**

जिम्मेदारों को आईना दिखाने के लिए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि 4 माह की मासूम की कुपोषण से मौत के तीसरे दिन ही एक और बच्ची कुपोषण के चलते अति गंभीर हालत में पाई गई.

शुक्रवार की सुबह स्वास्थ्य और महिला बाल विकास विभाग की संयुक्त टीम ने चित्रकूट क्षेत्र के कुपोषण से प्रभावित माने जाने वाले गांव का दौरा शुरु किया. इस दौरान गुप्त गोदावरी मोड़ क्षेत्र में रहने वाले परिवार के एक बच्चे को कुपोषित के तौर पर चिंहित किया गया. इसी कड़ी में जब संयुक्त टीम नयगांव क्षेत्र में पहुंची तो वहां पर दो बच्चे कुपोषित मिले. जिसमें से एक बच्ची जिसकी उम्र 5 माह है, गंभीर तौर पर कुपोषित पाई गई. बच्ची की हालत को देखते हुए ब्लॉक मेडिकल आफिसर रुपेश सोनी ने परिजनों को इस बात की समझाइस दी कि बच्ची को फौरन उपचार की आवश्यकता है. हलांकि परिजनों ने पहले

आनाकानी जारी रखी, लेकिन फिर कुछ देर बाद बच्ची का उपचार कराने के लिए राजी हो गए. जिसके चलते बच्ची को मझगवां स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. जहां पर उसकी हालत को देखते हुए उसे जिला चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया गया. जिला चिकित्सालय में पदस्थ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. संदीप द्विवेदी के अनुसार बच्ची को शुक्रवार को ही बच्चों के आईसीयू में भर्ती कर उपचार शुरु किया गया. लेकिन उसका ब्लड शुगर न सिर्फ काफी कम था बल्कि नियंत्रित भी नहीं हो पा रहा था. जिसे देखते हुए बच्ची को उपचार के लिए हायर सेंटर में भेजने का निर्णय लिया गया. इसी कड़ी में शुक्रवार की शाम बच्ची को मेडिकल कॉलेज रीवा के लिए रेफर कर दिया गया. जहां पर बच्ची को भर्ती कर उपचार किया जा रहा है. शुक्रवार को जिस बच्ची को गंभीर कुपोषण की श्रेणी में चिंहित कर उपचार के लिए भेजा गया है वह मोहनी प्रजापति महज 5 माह की है. बच्ची का वजन 2 किलो 327 ग्राम पाया गया. गौरतलब है कि 3 दिन पहले ही चित्रकूट क्षेत्र के मझगवां ब्लाक अंतर्गत सुरंगी पथरा गांव में 4 माह के जुड़वां बच्चे गंभीर तौर पर कुपोषित हालत में पाए गए थे. जिसमें से बच्ची ने 2 दिन पहले ही उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था. जबकि उसके जुड़वां भाई नैतिक का गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रीवा में उपचार जारी है.

### पोषण न मिलने से बिगड़ी हालत

कुपोषित और गंभीर तौर पर बीमार बच्ची मोहिनी के पिता मुकेश प्रजापति और मां सावित्री प्रजापति के अनुसार बच्ची का जन्म उप्र के चित्रकूट जिले के जिला चिकित्सालय में हुआ था. परिजनों के अनुसार जन्म से ही बच्ची का एक कान विकसित नहीं हुआ था. इतना ही नहीं बल्कि जन्म से ही बच्ची का स्वास्थ्य सामान्य नहीं रहा. इसी कड़ी में समुचित उपचार और पोषण नहीं मिल पाने के कारण बच्ची की हालत और बिगड़ती चली गई. पिछले कुछ दिनों से बच्ची की तबियत खराब होने पर परिजनों द्वारा उसका उपचार शिवरामपुर के एक कथित झोलाछाप चिकित्सक के जरिए कराया जा रहा था.

# चितरंगी में पारा 44 डिग्री पर पहुंचा जनजीवन अस्त-व्यस्त

## सुबह 9 से शाम 5 बजे तक घर से निकलना मुश्किल

नवभारत न्यूज

**चितरंगी 24 अप्रैल। जिले के चितरंगी क्षेत्र में इन दिनों भीषण गर्मी ने लोगों की दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित कर दी है।**

आज शुक्रवार को यहां अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे पूरे इलाके में तपिश बढ़ गई है। सुबह होते ही तेज धूप और गर्म हवाएं चलने लगती हैं, जिसके कारण सुबह 9 बजे के बाद से शाम 5 बजे तक घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। लू के तेज थपेड़ों ने जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। दोपहर के समय बाजारों और सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आता है और लोग जरूरी काम होने पर ही बाहर निकल रहे हैं। गर्मी का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है, जिससे कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में लू व डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, जहां लोग उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि इस भीषण गर्मी के बीच एक राहत भरी खबर यह है कि क्षेत्र में बिजली कटौती फिलहाल बंद है। लगातार बिजली आपूर्ति से लोगों को घरों में कुछ हद तक राहत मिल रही है और पंखे-कूलर के सहारे गर्मी से बचाव संभव हो पा रहा है। इसके बावजूद तापमान में लगातार वृद्धि ने स्थिति को गंभीर बना दिया है।

चिकित्सकों ने लोगों से अपील की है कि वे दोपहर के समय घर से बाहर निकलने से बचें, अधिक मात्रा में पानी पिएं और लू से बचाव के उपाय अपनाएं, ताकि स्वास्थ्य सुरक्षित रह सके।

# संदिग्ध परिस्थिति में बच्ची की मौत, सौतेली मां पर मारपीट का आरोप

नवभारत न्यूज

**रीवा, 24 अप्रैल, रीवा जिले में संदिग्ध परिस्थितियों में एक बच्ची की मौत हो गई. जिसके बाद परिजनों ने उसकी सौतेली मां पर मारपीट करने का आरोप लगाया है. सौतेली मां के द्वारा मारपीट की जानकारी बच्ची की दादी और उसके भाई भी दे रहे हैं. पुलिस घटना की जांच कर वास्तविक कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है.**

घटना रीवा जिले के चाकघाट के आमिलकोनी की है यहां रहने वाली रागिनी साकेत पिता मनोज 7 वर्ष की बुधवार रात मौत हो गई. बच्ची के साथ मंगलवार को सौतेली मां ने मारपीट की थी जिसके बाद उसकी हालत खराब हो गई थी. परिजनों ने निजी चिकित्सक के पास बच्ची का इलाज कराया था और फिर बाद में उसे घर लेकर आ गए. बुधवार रात बच्ची की घर में मौत हो गई. गुरुवार सुबह पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. बच्ची की दादी और दो भाईयों ने सौतेली मां के द्वारा मारपीट करने की जानकारी दी है. परिजनों का आरोप है कि सौतेली मां ने बच्ची को बुरी तरह से पीटा था जिससे उसकी हालत खराब हो गई थी. पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है. बच्ची के शरीर में कोई बाहरी चोट के निशान नहीं थे जिससे आशंका जताई जा रही है कि शरीर के अंदर मारपीट से उसको चोट आई थी जिसकी वजह से बच्ची की मौत हो गई. पुलिस ने अस्पताल में तीन डाक्टरों की टीम से शव का पोस्टमार्टम करवाया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण सामने आएगे.

# जेल में निरुद्ध एक कैदी की मौत पास्को एक्ट का था आरोपी

नवभारत न्यूज

**सीधी, 24 अप्रैल. जिला जेल पडरा सीधी में पास्को एक्ट के मामले में तीन साल से जेल में बंद कैदी की मौत हो गई । जेल पुलिस के अनुसार मृतक कैदी रजनीश दुबे पिता शशिप्रकाश दुबे निवासी वार्ड नंबर 3 नगर परिषद चुरहट को चुरहट न्यायालय द्वारा पास्को एक्ट के तहत 14 नवंबर 2023 को जेल भेजा गया था।**

आज सुबह अचानक स्वास्थ्य खराब हो गया, उल्टी दस्त के चलते उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। जेल प्रहरियों की सूचना पर उसे जेल अधीक्षक द्वारा जिला अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया, जहां चिकित्सकों ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया।

### इनका कहना है

हवालात में बंद कैदी रजनीश दुबे का आज स्वास्थ्य अचानक ज्यादा खराब हो गया था, जिसे उपचार के लिए जेल से जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण उपरांत मृत घोषित कर दिया।

**रविशंकर सिंह,**
अधीक्षक जिला जेल सीधी

### तीन साल में नहीं मिलने आए परिजन

मृतक कैदी रजनीश दुबे के बारे में बताया गया है कि परिवार की हालत अत्यंत दयनीय है । माता का निधन हो चुका है, पिता की उम्र ज्यादा होने से शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं। जेल पुलिस के अनुसार तीन साल से जेल में बंद इस कैदी से मुलाकात करने कोई भी परिजन नहीं आया। मौत की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी गई है, जिसके माध्यम से परिजनों को सूचित किया गया ।

# ट्रेलर पलटने से 24 घंटे बाद शुरू हुआ एनएच-39 पर आवागमन

- वैकल्पिक रास्ता निकालने के बाद वाहनों की शुरू हुआ आवागमन

नवभारत न्यूज

**सिंगरौली 24 अप्रैल। सीधी-सिंगरौली नेशनल हाईवे 39 के देवसर के समीप खाखन नदी पर बीते बुधवार की रात करीब 9 बजे एक कोल वाहन टेलर पलट जाने से सड़क आवागमन मार्ग पूरी तरह से करीब 24 घंटे तक बाधित रहा है।**

जहां गुरुवार की रात करीब 12 बजे किसी तरह आवागमन बहाल हुआ। लेकिन उसके लिए वैकल्पिक रास्ता निकाला गया, तब कहीं जाकर करीब 10 किलोमीटर जाम में फंसे वाहनों का संचालन हो पाया है। लेकिन सड़क पर पलटा वाहन अभी भी उसी स्थिति में है, जिसे सड़क से हटाने के लिए जो युद्ध स्तर पर कार्य जारी है।

हालांकि इस 24 घंटे से अधिक समय तक वाहनों के जाम में फंसने से हजारों मुसाफिर वाहन चालक काफी परेशान रहे, यहां बताते चलें कि भीषण गर्मी चल रही है और जिले का तापमान 42 डिग्री पार कर गया है। इस चिलचिलाती धूप में गुरुवार को सैकड़ो मुसाफिर और वाहन चालक एवं गर्मी से जूझते नजर आए। इस दौरान प्रशासन द्वारा कोई पेयजल की सुविधा भी मुहैया नहीं कराई गई थी, कहीं-कहीं प्रशासन की घोर लापरवाही भी सामने आई है, जिसको लेकर वाहन चालकों एवं यात्रियों में भारी नाराजगी भी है।

# नेशनल लोक अदालत 9 मई को

नवभारत न्यूज

**सतना 24 अप्रैल. सतना जिले में 9 मई 2026 ( शनिवार ) को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में विद्युत संबंधी मामलों में उपभोक्ताओं को विशेष छूट प्रदान की जाएगी।**

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सतना ने बताया कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से लंबित प्रकरणों का अधिक से अधिक संख्या में निराकरण किया जाएगा। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत लंबित मामलों को प्राथमिकता से लिया जाएगा।

# दवाई कराने गए दंपति के सूने घर में लाखों की चोरी

## सीसीटीवी में कैद हुए नकाबपोश बदमाश

नवभारत न्यूज

**रीवा, 24 अप्रैल, रीवा शहर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं. ताजा मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के आनंद नगर बोदाबाग का है. जहां चोरों ने एक सूने घर को निशाना बनाते हुए लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया.**

जानकारी के अनुसार निजी स्कूल के संचालक अमित सिंह अपने बेटे की दवाई कराने के लिए रीवा शहर से बाहर गए हुए थे. इसी दौरान 24 अप्रैल को रात करीब डेढ़ बजे नकाबपोश बदमाशों ने पहले इलाके की रेकी की और फिर रात लगभग 2 बजकर 9 मिनट में घर के अंदर घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया. सुबह जब मोहल्ले के लोगों ने घर के मुख्य गेट का टूटा हुआ ताला देखा, तो उन्होंने तुरंत घर मालिक को सूचना दी. सूचना मिलते ही अमित सिंह के होश उड़ गए और उन्होंने डायल 112 पर पुलिस को खबर दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक फुटेज में दो नकाबपोश बदमाश संदिग्ध रूप से घर के आसपास घूमते और फिर अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं.

फिलहाल चोरी गए सामान की सही जानकारी सामने नहीं आ पाई है, लाखो की चोरी हो सकती है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश जारी है.

# ठेका श्रमिकों के नियोजन पर पंजीयन अनिवार्य

**सतना 24 अप्रैल.** मध्यप्रदेश के सभी शासकीय विभागों, मंडलों, निगमों एवं अन्य संस्थाओं के लिए श्रम विभाग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। ठेकेदारों या आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से कार्य कराने वाले विभागों को अब त्तपदबपचंस म्उचसवलमत के रूप में अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा। संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 की धारा 7 के तहत यह पंजीयन जरूरी है।

# जियावन राष्ट्रीय राजमार्ग पर टेम्पो पलटा, कई यात्री घायल

नवभारत न्यूज

**सिंगरौली 24 अप्रैल। जियावन राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज शुक्रवार की शाम 6 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, सामने गाय आ जान से जहां टेम्पो अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया।**

बताया जा रहा है कि टेम्पो में क्षमता से अधिक सवारियां-बच्चों सहित बैठी थीं, जिससे संतुलन बिगड़ने पर वाहन पलट गया और उसमें बैठे कई यात्री घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब टेम्पो तेज रफ्तार में था और अचानक चालक नियंत्रण खो बैठा।

दुर्घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को तत्काल बाहर निकाला और उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवसर भेजा गया, स्थानीय निवासियों का कहना है कि क्षेत्र में लगातार हो रहे सड़क हादसों का मुख्य कारण यातायात नियमों की अनदेखी और ओवरलोडिंग है। लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो ऐसे हादसे आगे भी होते रहेंगे। पुलिस द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं इस घटना ने एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

# कलेक्टर ने चुरहट में किया आकस्मिक निरीक्षण, दिए निर्देश

नवभारत न्यूज

**सीधी, 24 अप्रैल. कलेक्टर विकास मिश्रा द्वारा चुरहट क्षेत्र का आकस्मिक निरीक्षण कर विभिन्न कार्यालयों एवं संस्थानों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने साफ-सफाई, सेवाओं की समयबद्ध उपलब्धता एवं प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।**

नगर परिषद चुरहट कार्यालय के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कार्यालय परिसर में साफ-सफाई बनाए रखने एवं दस्तावेजों का व्यवस्थित रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नागरिकों को सभी सेवाएं समय पर और बिना किसी परेशानी के उपलब्ध कराई जाएं, जिससे आमजन को अनावश्यक भटकना न पड़े। कलेक्टर ने चुरहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने साफ-सफाई की स्थिति का अवलोकन करते हुए एक्सपायरी दवाइयों के उचित निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही चिकित्सकों की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने, एम्बुलेंस संचालन की सतत निगरानी रखने तथा मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। तहसील न्यायालय के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने लोकसेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत चिन्हित सेवाओं को समय-सीमा में प्रदान करने के निर्देश दिए। उन्होंने न्यायालय में प्रकरणों की नियमित सुनवाई सुनिश्चित करते हुए लंबित मामलों का समयबद्ध निराकरण करने पर जोर दिया। इसके साथ ही भू-अर्जन से संबंधित कार्यवाहियों में पारदर्शिता एवं समयबद्धता बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने जनगणना प्रशिक्षण का भी निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को जनगणना कार्यों को प्राथमिकता के साथ संपादित करने के निर्देश दिए।


DAIKIN
WORLD'S LEADING AIR CONDITIONING COMPANY FROM JAPAN

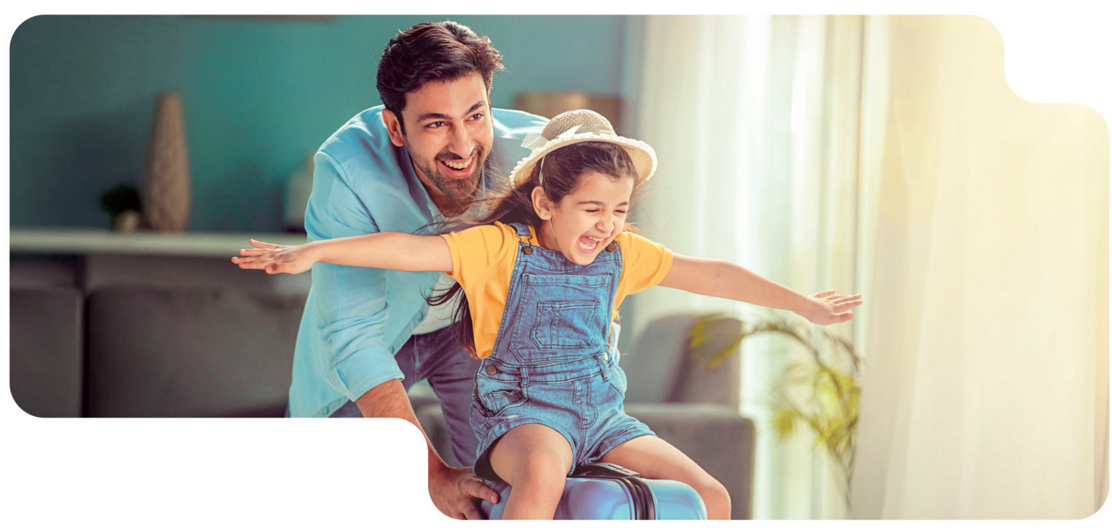

सुपीरियर कूलिंग फॉर
केयरफ्रीसमर्स

55 डिग्री में भी कूलिंग, 22M का लम्बा एयर थ्रो, और पावर चिल ऑपरेशन - जो दे आपको बढ़ती गर्मी से आराम।

#1 MOST TRUSTED Air Conditioners BRAND IN INDIA
TRA'S BRAND TRUST REPORT 2026 Power of Trust

Daikin - द एयर स्पेशलिस्ट

5 YEARS# COMPREHENSIVE WARRANTY | Green Exchange Offer* UPTO ₹6000* | STANDARD INSTALLATION OFFER* | 5% CASHBACK* | EASY EMI
AXIS BANK | HDFC BANK | ICICI Bank | SBI card
Check offer with Daikin Authorized channel partner before purchase.

अभी अपने नजदीकी अधिकृत डायकिन डीलरशिप पर जाएं

DAIKIN AIRCONDITIONING INDIA PVT. LTD.
BRANCH OFFICE: Office no.410, 4th floor- Satguru Parinay Building, PU-3, Opposite C21 Mall, AB Road Indore - 452010, Tel: 0731-4005864, 9109012391, 9109124362, 9109124363.
For service related queries: WhatsApp "Hi" at 987 140 9300, Call our Customer Contact Centre at 011-4031-9300/1860-180-3900, or write to us at customerservice@daikinindia.com.
Follow us on: www.facebook.com/daikinindia www.twitter.com/daikinindia www.instagram.com/daikinindia in.company/daikin-airconditioning-india-pvt.-ltd. www.youtube.com/user/DaikinACIndia
Daikin adheres to E-waste Rules notified by MoEF. For more information on E-waste disposal and exchange policy please contact our Customer Service Centre.
Product image is for representation only. The above features mentioned may vary in different AC Models. #-Check www.daikinindia.com/terms-conditions for further T&C. *Figure mentioned is for FTKF35.
Source: TRA Research - Brand Trust Report 2026, based on syndicated consumer research across 16 cities in india.


स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा.लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा. लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक आशीष श्रोती द्वारा प्लाट नं.34, इंडस्ट्रियल एरिया, सतना से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , इंडस्ट्रियल एरिया से मुद्रित . संपादक- संजय पयासी* फोन- 250587, फैक्स- 224642 * समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत जिम्मेदार RNI Reg. No. 72181/99